FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

रामवीरसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तह0 मॉढण

बनाम

अजय कुमार पुत्र श्री राजपालसिंह जाति राजपूत निवासी खून्दरोठ तह0 मॉढण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मु0न0 211 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	26.06.2024 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पावंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0न0हाल 1501,1502,1503,1504, वाके ग्राम खून्दरोठ तह0 मॉढण जिला कोटपूतली–वहरोड़ राजस्थान में वादीगण के हक व हिस्से में काश्त कार्य/उपयोग/उपभोग में वाधा उत्पन्न न करें एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। क्योंना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संवंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाव पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलव हो। प्रार्थी रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थी यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलवाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलवी दिनांक 21.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)	

फर्द अहकाम

(नियम 25)

मुकाम ....

...दालत .... बनाम ....

...कदमा .... नं0 .... सन् ....

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	7-8-24 आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। मूल वाद नोट प्रेस में खारिज हो गया है। प्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थना भी नोट प्रेस किया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना भी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद में का हो बाद कार्य संभाल मूल वाद हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़)	NOT press (हस्ताक्षर)